

भारत में समावेशी विकास की ओर यात्रा*

शक्तिकांत दास

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री थर्मन शन्मुगरत्नम का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ जो प्रोफेसर सुरेश तेंडुलकर स्मृति व्याख्यान श्रृंखला का तीसरा व्याख्यान देने के लिए पधारे हैं। आज स्वर्गीय प्रोफेसर सुरेश तेंडुलकर की पत्नी श्रीमती सुनेत्रा तेंडुलकर और उनकी बेटी श्रीमती साई सप्रे की यहाँ उपस्थिति से भी हम बड़े सम्मानित महसूस कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक की ओर से आमंत्रित सभी विशिष्ट सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत।

प्रो. सुरेश डी तेंडुलकर के बारे में

प्रो. सुरेश डी तेंडुलकर एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री और नीति विश्लेषक थे। देश में जीवन स्तर की माप व विश्लेषण पर उनका मौलिक कार्य, लोक नीति निरूपण में उनकी स्थायी विरासत रहेगा। वस्तुतः गरीबी के प्रति गहरी संवेदनशीलता और गरीबी को समझने के लिए आँकड़ा – आधारित शोध के प्रति प्रतिबद्धता ऐसी विशेषताएं हैं जो एक पेशेवर अर्थशास्त्री के रूप में प्रोफेसर तेंडुलकर के जीवन को परिभाषित करती हैं।

उनका अकादमिक रिकॉर्ड जबरदस्त और बड़ी उपलब्धियों से भरा था। उन्होंने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान 1968 में ज्वाइन किया। इसके बाद उनको वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर में दो वर्ष का प्रतिष्ठित दायित्व मिला। 1978 से लेकर 2004 में अवकाश ग्रहण तक दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स में उनका कार्यकाल उपलब्धियों भर रहा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों (एनएसएस) के अभिकल्प (डिज़ाइन) व संचालन के कई कार्य दलों में उन्होंने कार्य किया तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) के अध्यक्ष; राष्ट्रीय लेखा परामर्श समिति (नेशनल अकाउंट्स एडवाइजरी कमिटी) के अध्यक्ष; और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष रहे। वे

* श्री थर्मन शन्मुगरत्नम, वरिष्ठ मंत्री, सिंगापुर गणराज्य द्वारा 07 जनवरी 2020 को दिए गए सुरेश तेंडुलकर स्मृति व्याख्यान में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उद्बोधन वक्तव्य।

199 में गरीबी आकलन पर लकड़ावाला समिति के सदस्य थे जिसने गरीबी के आकलन के लिए राज्यों के अनुसार विशिष्ट उपभोग टोकरी/समूह (बास्केट) का सुझाव दिया था। 2004 व 2008 में वे प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हुए और 2008 में इस परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

2006 से 21 जून 2011 तक अपने दुखद निधन तक प्रो. तेंडुलकर ने रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक और पूर्वी स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दी। अर्थशास्त्र के कार्य में उनके योगदान व रिज़र्व बैंक से उनके संबंध के सम्मान में यह व्याख्यान श्रृंखला 2013 में प्रारंभ की गई थी।

श्री थर्मन शन्मुगरत्नम के बारे में

मुझे प्रसन्नता है कि श्री थर्मन शन्मुगरत्नम, 7 वर्षों के अंतराल के बाद ही सही, तृतीय सुरेश तेंडुलकर स्मारक व्याख्यान के लिए रिज़र्व बैंक आने के लिए तैयार हुए। इसके पहले वे सितंबर 2012 में 13वां एल के झा स्मारक व्याख्यान देने के लिए आए थे। श्री शन्मुगरत्नम एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व एक राजनैतिक व्यक्तित्व हैं। उनका कर्मजीवन लोक सेवा तथा आर्थिक व सामाजिक नीतियों में प्रमुख भूमिकाओं में बीता है। वर्तमान में वे सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री और सामाजिक नीतियों के लिए समन्वय मंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे हैं तथा आर्थिक नीतियों पर सिंगापुर के प्रधान मंत्री के सलाहकार हैं। साथ ही, वे मॉनिटरी अथॉरिटी आफ़ सिंगापुर (एमएस) के अध्यक्ष और गवर्नमेंट ऑफ़ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं।

श्री शन्मुगरत्नम ने मॉनिटरी अथॉरिटी आफ़ सिंगापुर के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। बाद में वे सिंगापुर प्रशासनिक सेवा से जुड़े और शिक्षा मंत्रालय में पॉलिसी के वरिष्ठ उप सचिव रहे। बाद में 2001 में जब वे जुरॉन्ग ग्रुप रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी के सदस्य चुने गए, उनके राजनैतिक जीवन की शुरुआत हुई, और तब से तीन बार पुनर्निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों तथा 2011 के आम चुनाव के बाद उप प्रधान मंत्री के रूप में भी कार्य किया है।

श्री शन्मुगरत्नम ग्रुप ऑफ़ थर्टी नामक आर्थिक व वित्तीय नेताओं के एक स्वतंत्र वैश्विक परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जी20 एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप ऑन ग्लोबल फाइनेंसियल गवर्नेन्स की भी अध्यक्षता की है जिसने वैश्विक विकास वित्त और वित्तीय स्थिरता की अधिक प्रभावी व्यवस्था के मानक सुझाए हैं। विगत में उन्होंने आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंसियल कमिटी को नेतृत्व दिया है, वे संयुक्त राष्ट्र की 2019 मानव विकास रिपोर्ट के परामर्शी (एडवाइजरी) बोर्ड की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम्स बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

आज के लिए श्री शन्मुगरत्नम द्वारा चुना गया “व्यापक आधार की समृद्धि: आधारभूत का समाधान” का विषय पूरे विश्व और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रासंगिक है। व्यापक आधार की समृद्धि का महत्त्व बहुत पहले से ही अच्छी तरह माना गया है और आर्थिक वृद्धि के लाभ व्यापक जनता तक पहुँचाने को सुनिश्चित करने की जरूरत पर सहमति है। एक विचार और नीतिगत उद्देश्य के रूप में, यह समावेशी विकास की अवधारणा के जैसा है। एक अधिक समानता वाली सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था प्राप्त करने को लेकर जहाँ दुनिया और देश में भी सहमति है, आधारभूत पक्षों पर ध्यान देना और वृहत्तर समावेश को सुगम करने वाली व्यवस्था बनाना भी उतना ही आवश्यक है। अंतर्निहित विषय संरचनात्मक सुधार ही होंगे।

इस संदर्भ में, कीमतों में स्थिरता, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक वृद्धि पर आरबीआई को दिया गया अधिदेश न केवल समष्टि-आर्थिक परिप्रेक्ष्य बल्कि समावेशी विकास के उद्देश्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। लगातार ऊँची मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की आबंटन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और वृद्धि में बाधक है। यह आय वितरण को बदतर करती है क्योंकि इससे गरीबों की वास्तविक आय का मूल्यहास हो जाता है। जी20 देशों की तुलना में बहुत ऊँची घरेलू मुद्रास्फीति को देखते हुए हमने 2016 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढाँचा अपनाया जिसके अंतर्गत मूल्य स्थिरता के उद्देश्य एवं साथ ही, मुद्रास्फीति नियंत्रण में हो तो वृद्धि पर ध्यान देने को प्रधानता दी गई है।

इसी प्रकार, वित्तीय स्थिरता के साथ ऊँची वृद्धि समावेशी विकास के लिए अच्छी होती है। ऊँची वृद्धि धन सृजन और इसकी प्रसार प्रभाव की प्रक्रिया के जरिये समावेश ला सकती है। मुझे ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, पर ऊँची वृद्धि से टैक्स-जीडीपी अनुपात में सुधार आता है जिससे सरकार को सामाजिक व बुनियादी संरचना व्यय के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। पुनः, स्वस्थ बैंकों व एनबीएफसी वाली एक अच्छी वित्तीय प्रणाली पिरामिड के तल वालों की ऋण जरूरतों को पूरा करने में अच्छी भूमिका निभा सकती है। इसलिए, हम वित्तीय स्थिरता का सुदृढ़ ढाँचा विकसित करने के लिए विनियम और पर्यवेक्षण को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं जिससे बैंक और एनबीएफसी समाज की प्रत्याशाओं को पूरा कर सकें।

सामाजिक समावेश हासिल करने व आय की असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने अत्यंत छोटे स्तर पर भी कई कदम उठाए हैं। भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेश को एक वृहत्तर संरचनात्मक सुधार एजेंडा के अंग के रूप में देखा जाता है। बैंकिंग सेवाओं को सुगम करने वाली *जन धन योजना* ने विकास प्रक्रिया के लाभ वृहत्तर जनता तक पहुँचाने के अवसर व दायरे को बढ़ा दिए हैं। पीएम-किसान, ई-नैम आदि अन्य योजनाएं आय का सहारा बनने व किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं।

कृषि व बाजार सुधारों के क्षेत्र में, इस पर सहमति है कि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार समावेशी विकास को बढ़ाने का प्रमुख जरिया हो सकता है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं द्वारा दी गई कीमतों में किसानों का हिस्सा बढ़ सकता है। 16 राज्यों में फैली 85 *मंडियों* में किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के बीच 2018 में आरबीआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने बताया कि अलग-अलग फसलों व केंद्रों में उपभोक्ता द्वारा दिए गए खुदरा मूल्य और किसानों को मिलने वाली *मंडी* कीमतें (अर्थात् मार्जिन या मार्क-अप) अलग-अलग हैं। प्रमुख प्राथमिक खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों में किसानों का औसत हिस्सा 28-78 प्रतिशत की रेंज में है। यह विकारी वस्तुओं के मामले में कम व अविकारी वस्तुओं में ज्यादा है। किसानों को खुदरा कीमतों का बड़ा हिस्सा मिलना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा

है जो घरेलू माँग बनाए रखने में सहायक हो सकता है। बड़े ग्रामीण रोड नेटवर्क, सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बेहतर संचार सुविधाओं और सूक्ष्म ऋण की आसान उपलब्धता के लिए उठाए गए कदम किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में सहायक होंगे। निरंतर चलने वाली इस प्रक्रिया को कृषि बाजार में आगे के सुधारों के साथ बनाए रखने की जरूरत है। नीति एजेंडा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता, उपभोक्ताओं को किसानों द्वारा कृषि उत्पाद की सीधी बिक्री, बेहतर कीमत निर्धारण के लिए ई-नैम का सुदृढीकरण और उत्पादक केंद्रों के समीप भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देने से कृषि आय और ग्रामीण रोजगार अवसर बढ़ेंगे।

असेवित व अल्पसेवित इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। हाल में आरबीआई द्वारा बनाई गई वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय रणनीति (2019-24) को वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद (एफएसडीसी) ने मान्यता दी है। यह भारत में वित्तीय समावेश का विज्ञान व प्रमुख उद्देश्य तय करता है और इसके लक्ष्य हैं, औपचारिक व किरायायती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना; वित्तीय समावेश का प्रसार और गहनता; और वित्तीय साक्षरता व ग्राहक संरक्षण को बढ़ावा।

आरबीआई के दूसरे कदमों में हैं सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) और कृषि क्षेत्र को जाने वाले ऋण प्रवाहों से जुड़े विषयों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति और एक कार्य दल का गठन। वाणिज्य बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानकों के माध्यम से हम कृषि व कृषेतर गतिविधियों को सहारा देना चाहते हैं जो आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए रोजगार का साधन हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानकों की अब हम समीक्षा कर रहे हैं, ताकि ये मानक अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के मुताबिक हों और इनको अधिक समावेशी बनाया जा सके। लीड बैंक स्कीम, नो फ्रिल्स अकाउंट, बैंकिंग कॉर्रेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग फेसिलिटेटर मॉडलों और मोबाइल बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों आदि ने भी इन प्रयासों में सहायता पहुँचाई है।

जनता के लाभ के लिए लेटेस्ट तकनीक का प्रयोग भी रिज़र्व बैंक के नीतिगत एजेंडे में है। हर भारतीय को ई-पेमेंट के संरक्षित, सुरक्षित, सुविधाजनक, तेज और किरायायती विकल्पों की ताकत देने के विज्ञान को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय भुगतान आधार-संरचना व तकनीक प्लेटफॉर्मों को विकसित करने पर ध्यान दिया गया है। हाल में 16 दिसंबर 2019 को हमने 24x7x365 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक अंतरण (एनईएफटी) सुविधा शुरू की। इसके साथ, भारत उन गिने-चुने विशिष्ट देशों की पंक्ति में चला गया है जिनके पास चौबीसों घण्टे तत्काल (रीयल टाइम) फंड्स ट्रांसफर और निपटान वाली भुगतान प्रणाली है। निपटान की सुविधा के लिए, आरबीआई ने सहभागी बैंकों के लिए 24x7 आधार पर चलनिधि अवलंब सुविधा भी दी है। हमने एनईएफटी पर लगने वाले प्रभार हटा दिए हैं। बचत बैंक ग्राहक अब आनलाइन एनईएफटी लेन-देन निःशुल्क कर सकते हैं। आग चलकर, इससे बड़ी मूल्य वाली तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली भी देश को 24x7 आधार पर देने का मार्ग खुलेगा। फिलहाल, हमने आरटीजीएस की टाइमिंग बढ़ा दी है।

अल्प मूल्य डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए, हाल ही में रु.10,000 तक के बकाया शेष वाले एक नए प्रकार का प्रिपेड इनस्ट्रुमेंट (पीपीआई) शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने और डिजिटल भुगतान शिकायतों के प्रभावी निपटान के लिए, एक डिजिटल लोकपाल (ओमबड्समैन) योजना प्रारंभ की गई है। हाल में 1 जनवरी, 2020 को रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकनोट के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मणि) नामक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं “व्यापक आधार की समृद्धि: आधारभूत का समाधान” पर अपने विचार साझा करने के लिए श्री थर्मन शन्मुगरत्नम को आमंत्रित करना चाहूँगा। व्याख्यान के बाद एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सत्र के लिए सदन खुला रहेगा।